रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228066 CG-DL-E-01072021-228066

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374] No. 374] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ़ 10, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

#### कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

# (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 464(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्तराखंड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पदसंख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पदसंख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियमावली, 2021 कहा जाएगा।
  - (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पदसंख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "**उत्तराखंड"** शीर्षक और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा. -

#### "उत्तराखंड"

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	69
मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, यूजेवीएनएल	1

3662 GI/2021 (1)

अपर मुख्य सचिव एवं आईडीसी/एफआरडीसी	1
सरकार के प्रधान सचिव	2
प्रधान सचिव, कार्मिक, जीएडी, एसएडी, एचआरडी सतर्कता एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
प्रधान सचिव, गृह कारागार एवं होम गार्ड्स	1
राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष	1
प्रधान सचिव, वन एवं ग्रामीण विकास आयुक्त	1
प्रधान सचिव, उद्योग वाणिज्य एवं नागरिक उडड्यन	1
प्रधान सचिव, सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास,	1
अल्पसंख्यक कल्याण	
आवासीय आयुक्त	1
सरकार के सचिव	4
सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	1
सचिव, गृह एवं आपदा प्रबंधन	1
सचिव, वन एवं वाटरशेड	1
सचिव, आईटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1
सचिव, लोक निर्माण विभाग	1
सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति	1
सचिव, परिवहन, शहरी विकास एवं आवासन	1
सचिव, खेल एवं युवा कल्याण मामले	1
सचिव, सिंचाई, लघु सिंचाई और पेयजल	1
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्यमंत्री के सचिव	1
आयुक्त, गढ़वाल एवं शहरी विकास आयुक्त	1
आयुक्त, कुमाऊं एवं निदेशक एटीआई	1
सचिव , वित्त एवं उत्पाद शुल्क	1
सचिव, विद्युत	1
सचिव, पर्यटन एवं जैव-पर्यटन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास बोर्ड	1
निदेशक, उद्योग एवं प्रबंध निदेशक एसआईडीसीयूएल	1
आयुक्त, श्रम एवं निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार एवं डीजी शिक्षा	1
निदेशक, संस्कृति एवं खेल	1
परिवहन आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक परिवहन निगम	1
महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क (डीआईपीआर)	1
पंजियक, सहकारिता, आयुक्त, उत्पाद शुल्क एवं कर एवं आईजी, स्टैम्प एवं	1
पंजीकरण	
जिलाधिकारी	13
अपर सचिव	10
उपाध्यक्ष, एमडीडीए (मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण)	1

	मुख्य विकास अधिकारी	4
	नगरपालिका आयुक्त, नगरपालिका निगम देहरादून	1
	वीसी, एचडीए, हरिद्वार	1
	प्रबंध निदेशक, जीएमवीएन	1
	प्रबंध निदेशक, केएमवीएन"	1
1.	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	69
2.	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं	27
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं	17
4.	प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं	02
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं	11
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली - 1954 के नियम 8 के अन्तर्गत	38
	पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33½% से	
	अधिक नहीं)	
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5-6)	88
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	126"

[फा. सं. 11031/01/2020-अ.भा.से. –II(क)]

कुलदीप चौधरी, अवर सचिव

- टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, उत्तराखंड भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पदसंख्या 120 थी।
- टिप्पणी 2: प्रधान विनियम दिनांक 22.10.1955 को एस.आर.ओ. सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तराखंड संवर्ग से संबंधित संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा किए गए: -

क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	805(अ)	21.10.2000
2.	806(अ)	21.10.2000
3.	347	04.10.2004
4.	231अ	27.03.2008
5.	188(अ)	24.03.2009
6.	617अ	23.07.2010
7.	1023(अ)	30.12.2015

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2021

**G.S.R.** 464(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Uttarakhand**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- 1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading "Uttarakhand" and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

### "Uttarakhand"

Senior Duty Posts under the State Government	6
Chief Secretary & Chairman UJVNL	
Additional Chief Secretary & IDC/FRDC	
Principal Secretary to Government	
Principal Secretary, Personnel, GAD, SAD, HRD Vigilance & Chief Electoral Officer	
Principal Secretary, Home Jail & Home Guards	
Chairman Board of Revenue	
Principal Secretary, Forests & Rural Development Commissioner	
Principal Secretary, Industry Commerce & Civil Aviation	
Principal Secretary, Social Welfare, Women Empowerment & Child Development, Minority Welfare	
Resident Commissioner	
Secretary to Government	'
Secretary, Rural Development & Panchayati Raj	
Secretary, Home & Disaster management Secretary, Forest & Watershed	
Secretary, IT Science & Technology	
Secretary, PWD	
Secretary, Health, Medical Education, Food & Supplies	
Secretary, Transport, Urban Development & Housing	
Secretary, Sports & Youth Welfare	
Secretary, Irrigation Minor Irrigation & Drinking Water	
Secretary to Governor	
Secretary to Chief Minister	
Commissioner, Garhwal & Rural Development Commissioner	
Commissioner, Kumaun & Director ATI	
Secretary, Finance & Excise	
Secretary, Power	
Secretary, Tourism and Ecotourism & CEO Tourism Development Board	
*	
Director, Industries & MD SIDCUL	
Commissioner, Labour and Director, Training & Employment & DG Education	
Director, Cultural & Sports	
Transport Commissioner & MD Transport Corporation	
Director General, Information & Public Relation (DIPR)	
Registrar, Co-operatives, Commissioner Excise, Taxes & IG Stamps & Registration	
District Magistrate	1
Additional Secretary	1
Vice Chairman MDDA (Mussoorie Dehradun Development Authority)	
Chief Development Officer	
Municipal Commissioner, Municipal Corporation Dehradun	
VC, HDA, Haridwar	

	MD, GMVN	1
	MD, KMVN	1
1	Total Senior Duty Posts	69
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	27
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	17
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	02
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	11
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service	38
	(Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	88
	Total Authorised Strength	126"

[F. No. 11031/01/2020-AIS-II(A)]

KULDEEP CHAUDHARY, Under Secy.

- **Note 1:** Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Uttarakhand IAS Cadre was 120.
- **Note 2:** The principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22.10.1955. Subsequently, they were amended in respect of the Uttarakhand Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates:-

S.No.	GSR Nos.	Date
1.	805(E)	21.10.2000
2.	806(E)	21.10.2000
3.	347	04.10.2004
4.	231E	27.03.2008
5.	188(E)	24.03.2009
6.	617E	23.07.2010
7.	1023(E)	30.12.2015